Rajasthan

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2012 (आश्विन 7, 1934)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2012 (ASVINA 7, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400018, दिनांक 31 अगस्त 2012

सं. यूबीडी.सीओ.एमआईएस/1/16.43.020/2012-13--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि तिरुवनईकोविल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., 48, सन्नधी स्ट्रीट, तिरुवनईकोविल, त्रिची, तमिलनाडू-620005, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (cci) में परिभाषित किए गए अनुसार अब सहकारी बैंक नहीं रहा तथा अधिसूचना देने से पूर्व किए गए कार्यों तथा करने के लिए छोड़े हुए कार्यों को छोड़कर उक्त सहकारी बैंक पर अधिनियम के अंतर्गत लागू सभी प्रावधान इस अधिसूचना की तारीख से लागू नहीं होंगे।

ए. उदगाता
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2012

सं. एन-15/13/5/1/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा गुजरात कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1963 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ गुजरात राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

"जिला सूरत के हजीरा, कवास, मोरा एवं भाटपोर, की संपूर्ण राजस्व/नगरपालिका/ग्राम पंचायत सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

एस. रविचन्द्रन
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 3 सितम्बर 2012

सं. एन-15/13/11/2/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्तूबर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ

Scanned by CamScanner

New Delhi-110002, the 3rd September 2012

V-33(13)14/2009-E.IV—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Rajasthan State which shall consist of the following members, namely :—

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	2	3	4
1.	Hon'ble Minister of State (Labour) (Independent Charge), Govt. of Rajasthan, Jaipur	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Hon'ble Minister of State (Health) Govt. of Rajasthan, Jaipur	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Labour Commissioner, Rajsthan, Jaipur Sharam Bhawan, Shanti Nagar, Khatipura Road, Jaipur	Member	Reg. 10(1)(c)
4.	Director, Medical & Health Services, (ESI Scheme) Laxmi Nagar, Ajmer Road, Jaipur	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	State Medical Commissioner ESI Corporation, Jaipur	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Sh. Anand Kalani, The Employers' Association of Rajasthan, 1662-B, A.P. Apartment, Near Kharbuja Mandi, Moti Doongri Road, Jaipur-302004.	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
7.	Sh. Daljit Singh Bhandari, Vice Chairman, Rajasthan Chamber of Commerce & Industries, Chamber Bhawan, M. I. Road, Jaipur.	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8.	Sh. S. K. Gupta, Secretary, Rajasthan Textile Mills Association, B-1, Nawalakha Apartment, Bharat Mata Path, Jamana Lal Bajaj Marg, 'C-Scheme, Jaipur, M-9829347604	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9.	Sh. Shyam Lal Mathur, Joint Secretary, National Majdoor Congress (INTUC), B-Choudhary Sharmik Kendra, Rajasthan, 130, Kailash Puri Opposite Shanghi Farm, Tonk Road, Jaipur. M-9414718079	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10.	Sh. D. K. Chhangani, General Secretary All India Trade Union Congress, AITUC, Swami Kumaranand Bhawan, Near Hathroi Fort, Jaipur-302002.	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11.	Sh. Ravinder Shukla, General Secretary, Indian Trade Union Kendra, Rajasthan State Committee Shramik Ekta Kendra, S. D. 137, Shanti Nagar Jaipur-302006. M-9413340203.	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)

Scanned by CamScanner

1	2	3	4
12.	The Principal Secretary Govt. of Rajasthan Labour and Planning Department, Sachivalya Jaipur	Ex-officio Member of ESIC residing in the State	Reg. 10(1)(f)
13.	Regional Director, Regional Office ESI Corporation Jaipur (Rajasthan)	Member Secretary	Reg. 10(3)

S. K. SHAH
Jt. Dir.

Scanned by CamScanner